A4 |

FORM No-III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

अपीलाण्टगण	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. सुरेन्द्रसिंह पुत्र हुकमसिंह 2. रामसिंह पुत्र भुरसिंह जातिगण पुरोहित निवासी सांडिया तहसील सोजत		सरकार जरिये उप तहसीलदार महोदय बगडी नगर

राजस्व अपील प्रकरण संख्या 11 /2024

(जी.सी.एम.एस. प्रकरण संख्या 2024/220)

किस्म मुकद्दमा : राजस्व अपील

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.06.2024	अपीलाण्टगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा प्रकरण संख्या 01/2024 बअनवान सरकार बनाम सुरेन्द्रसिंह व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28.05.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रकरण आवश्यक प्रकृति का होने से अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलाण्टगण ने वक्त बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश अपीलाण्ट को जवाब साक्ष्य, सबुत के अवसर दिये बगैर जारी कर अपीलाण्ट को बेदखली के आदेश पारित कर दिये है। जैर अपील आराजी खसरा नम्बर 924 में से 0.04 हैक्टेयर भूमि टयूबवैल हेतु अपीलाण्टगण के पिता हुकमसिंह तथा उनके भाई रामसिंह को सयुक्त रूप से उपखण्ड अधिकारी सोजत ने आदेश दिनांक 26.03.1991 के द्वारा आवंटन कर खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये थे जिसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 582 दिनांक 04.06.1991 स्वीकृत कर राजस्व रेकर्ड में खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये एवं पश्चातवर्ती जमाबंदियो के खसरा नम्बर 924/मिन एवं खसरा नम्बर 2065/924 रकबा 0.04 हेक्टर भुमि दर्ज है जिसमें भी अपीलाण्ट की खातेदारी दर्ज है जिसमें एक टयुबवैल खसरा नम्बर 924 व दुसरा खसरा नम्बर 1008/2 में खुदा हुआ है। इसके अलावा किसी प्रकार का बाडा एवं अतिक्रमण नही है जिससे अब्दुल रहमान के निर्णय की अवहेलना होती हो या नदी के बहाव क्षैत्र में किसी प्रकार की रूकावट आती है। न ही मौके पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य किया गया है। अपीलाण्ट के पिता द्वारा वर्ष 1991–1992 में ही ट्युबवैल खोदकर स्वयं की खातेदारी भूमि बारानी अव्वल में सिचाई हेतु ग्राम पंचायत की अनुमति से पाईप लाईन डाली हुई है। अतः अपीलाण्ट की अपील स्वीकार फरमाकर तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमावे। अधिवक्ता अपीलाण्टगण की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर अपील प्रार्थना पत्र एवं उसके सलंग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। उप तहसीलदार बगडी नगर ने अपीलाण्ट द्वारा खसरा नम्बर 924 रकबा 0.04 हैक्टेयर किस्म गै.मु.नदी में कब्जा कर बाडा कब्जा मय दो ट्यूबवेल व हौद बनाकर अतिक्रमण किये जाने के उपरान्त अतिक्रमी को बेदखल कर भूमि का कब्जा हक सरकार लिये जाने का जैर अपील निर्णय पारित किया।	

अति. जिला कलेक्टर पाली

जैर अपील आराजी खसरा नम्बर 924 में से 0.04 हैक्टेयर किस्म गै.मु.नदी भूमि ट्यूबवैल हेतु उपखण्ड अधिकारी सोजत ने आदेश दिनांक 25.03.1991 के द्वारा हुकमसिंह तथा रामसिंह को सयुक्त रूप से आंवटित की गयी थी तथा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 582 दिनांक 04.06.1991 के द्वारा आवंटि का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया जो ग्राम सांडिया के जमाबन्दी सम्वत् 2046–2049 के अवलोकन से स्पष्ट है। साथ ही ग्राम सांडिया की जमाबन्दी सम्वत् 2058–61 के खसरा नम्बर 924/मिन रकबा 0.04 हैक्टैयर तथा जमाबन्दी सम्वत् 2066–2069 में भी खसरा नम्बर 2065/924 रकबा 0.04 हैक्टेयर में आवंटित बतौर खातेदार दर्ज है। जिससे स्पष्ट है कि जैर अपील आराजी अपीलाण्ट के पिता व उनके भाई को आवंटित की गयी थी तथा आवंटि को बतौर खातेदार भी दर्ज किया गया था। साथ ही ग्राम पचांयत के अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 28.06.1992 से भी स्पष्ट है कि आवंटि द्वारा खसरा नम्बर 924 में ट्यूबवैल खोदा जाकर पाईपलाइन डाली गयी।

जैर अपील आराजी में आवंटि खातेदार है एवं ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार जैर आराजी पर आवंटि द्वारा ट्यूबवैल खोदी हुई है। चुकि जैर अपील में पारित निर्णय अपीलाण्टगण के हक अधिकारो को प्रभावित करता है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर आराजी के सम्बन्ध में निर्णय पारित किये जाने से पूर्व अपीलाण्ट को आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य तथा जवाब प्रस्तुत करने हेतु नियमानुसार अवसर प्रदान किया जाकर विधिनुसार निर्णय पारित किया जाना चाहिये।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्टगण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 01/2024 में पारित निर्णय दिनांक 28.05.2024 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण उप तहसीलदार बगड़ीनगर को इस निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे दिनांक **16.07.2024** को अपीलाण्टगण को समुचित सुनवाई का अवसर देते हुए दस्तावेजो की जांच कर विधि सम्मत निर्णय करे। अपीलाण्टगण दिनांक 16.07.2024 को उप तहसीलदार बगडीनगर के समक्ष आवश्यक रूप से अपना पक्ष रखते हेतु उपस्थित रहे। **नियत दिनांक पर अपीलाण्ट की अनुपस्थिति की स्थिति में न्यायालय प्रकरण में नियमानुसार निर्णय पारित करने के लिए स्वतंत्र है।** उप तहसीलदार बगड़ीनगर को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति.जिला कलेक्टर, पाली

अति. जिला कलेक्टर, पाली